रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032021-226017 CG-DL-E-19032021-226017

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1169]

No. 1169]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 19, 2021/फाल्गुन 28, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 19, 2021/PHALGUNA 28, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली. 19 मार्च. 2021

का.आ. 1261(अ).—केंद्रीय सरकार, समय-समय पर यथा-संशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पिठत विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के साथ पिठत धारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 की अधिसूचना का.आ. 3446(अ) में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 7 के एचएस कोड 0713 31 10, 0713 90 10 और 0713 90 90 अंतर्गत उड़द [बीन्स ऑफ द एसपीपी विगना मुंगो (एल.) हेपर] का वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1.5 लाख मीट्रिक टन के कोटा के आयात के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2021 करती है।

2. अधिसूचना का प्रभाव: 1.5 लाख एमटी उड़द का आयात करने के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2021 कर दी गई है।

[फा. सं. 14/1/2020-ईपी (एग्री-III)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

1704 GI/2021 (1)

नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 17 जनवरी, 2017 के का.आ. 172(अ) के तहत दिनांक 17 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 36/2015-2020 के तहत जारी की गई थी और उसे दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 के का.आ. 3446(अ) के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2021

- **S.O. 1261(E).**—In exercise of powers conferred by section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time-to-time, the Central Government, in partial modification of Notification S.O. 3446(E) dated 1st October, 2020, hereby extends the last date for import of 1.5 Lakh MT of Urad [Beans of the SPP Vigna Mungo (L.) Hepper] under HS Codes 0713 31 10, 0713 90 10 and 0713 90 90 of Chapter 7 of ITC (HS), 2017, Schedule I (Import Policy), for the fiscal year 2020-21, from 31st March, 2021 to 30th April, 2021.
- 2. **Effect of the Notification:** The last date for import of 1.5 Lakh MT of Urad, is extended from 31st March, 2021 to 30th April, 2021.

[F. No. 14/1/2020-EP(Agri-III)]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Note: The principal notification No. 36/2015-2020 dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 172(E), dated the 17th January, 2017 and amended *vide* S.O. No. 3446 dated 1st October, 2020.